बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
हमारा संकल्प...

डा० भीम सिंह
माननीय मंत्री,
पंचायती राज विभाग

सशक्त
समावेशी
उत्तरदायी
पारदर्शी

पंचायती राज संस्थाएँ

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार

राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं संबंधित पदाधिकारियों हेतु आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत राशि में से अब तक अव्यवहृत राशि एवं 2014–15 तक प्राप्त होने वाली राशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

1. तेरहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाना है, बशर्ते आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो। तदनुसार तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएँ, जिन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी हैं, उनका निर्माण कार्य अनिवार्यतः लेगी।

2. तीनों स्तरों पर भूमियुक्त आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य लेने के उपरांत यदि राशि बच जाती है तो उससे निम्नवत् अन्य कार्य भी लिये जा सकते है :–

   (क) बसावटों में PCC पथ/इन्टरलोकिंग टाइल पथ एवं नाला निर्माण।

   (ख) 250 से कम की आबादी वाले टोलों का मुख्य पथ से सम्पर्क पथ पी०सी०सी० या इन्टरलोकिंग टाईल्स सड़क।

   (ग) प्रखंड स्तर पर प्रखंड परिसरों में अवस्थित सरकारी भवनों का जीर्णोद्वार एवं वार्षिक रखरखाव (पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त)।

   (ध) जिला परिषदों के उपयोग हेतु जिला परिषद का सभाकक्ष एवं आई०टी० सेंटर की स्थापना।

   (च) जिला परिषद के डाकबंगले का जीर्णोद्वार एवं रख–रखाव।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से संबंधित राज्यादेश संख्या 43 दिनांक 24.01.2014 सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही इसे पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2014 को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में योजनाओं का चयन किया जाए। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति द्वारा इस हेतु 31 जनवरी, 2014 के पूर्व विशेष बैठक का आयोजन किया जाए। सभी स्तरों की संस्थाओं द्वारा चयनित योजनाओं को 5 फरवरी, 2014 तक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाए तथा 15 फरवरी, 2014 के पूर्व अनिवार्यतः कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।

(दीपक आनन्द)
भा०प्र०से०,
निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।